

प्रायरा १०- ३१४
माइल नं.- UP671104C
दिनांक ११.११.२०२०
सोनभद्र सोनभद्र

पत्रांक- ५३४ / सोनभद्र / , दिनांक, रावर्ट्सगंज, सितम्बर ०७ , २०२०
सेवा में,

अधिकारी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
रावर्ट्सगंज- सोनभद्र।

विषय-

जनपद सोनभद्र के नक्शे प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना(एल०डब्लू०ई०) के अन्तर्गत रामपुर-वरकोनिया वाया मज़कला से लौवा सम्पर्क मार्ग किमी० ००.०० से २०.२०० तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल ०८.०१ हेठो आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं वाधक ५८ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-२ लखनऊ का पत्रांक-संख्या-पी-६२/ ८१-२-२०२०-८००(६५) / २०२० दिनांक-२८.०८.२०२० एवं मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ का पृष्ठांकन पत्र सं०- ४६१ / ११-सी-FP/UP/Road/३५३२६/२०१८ दिनांक-३१.०८.२०२०।

विषयगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश शासन के संदर्भित पत्र दिनांक २८.०८.२०२० व मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० के संदर्भित पत्र दिनांक ३१.०८.२०२० (छायाप्रति संलग्न) का ०८.२०२० द्वारा २७ शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। जिसकी अनुपालन दिनांक ३१.०८.२०२० द्वारा निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में अनुपालन आख्या ४ प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि अनुपालन आख्या उच्च रस्ते के माध्यम से उ०प्र० शासन की सेवा में प्रेषित करते हुए विधिवत स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया जा सके।

बिंदु सं०- १६- इस शर्त के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित ५८ वृक्षों का गणना/ छपान किया जाना है। मीरजापुर क्षेत्र अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर द्वारा वानिकी कार्यों की पुनरीक्षित अनुसूचित दरें रु० २०१/- प्रतिदिन मजदूरी के अनुसार छपान हेतु ७.१५ प्रति वृक्ष कोलतार का कीमत एवं सामग्री व श्रमांश सहित निर्धारित किया गया है। अतः ५८ वृक्षों की गणना/ छपान करने हेतु $58 \times 7.15 = 414.70$ या ४१५.०० (चार सौ पन्द्रह रुपये मात्र) का वैंक डाफ्ट जो अधोहस्ताक्षरी के पद नाम से बना हो तथा भारतीय स्टेट वैंक रावर्ट्सगंज शाखा पर देय हो, इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

बिंदु सं०- २०- इस शर्त के अनुपालन में माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) २०२/१९९५ के अन्तर्गत आई०ए० सं०- ५६६ एवं भारत सरकार के पत्र सं०- ५-३/२००७- एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार प्रभावित ८.०१ हेठो वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्र पर अंकित शुद्ध वर्तमान मुल्य (एन०पी०वी०) निर्धारित धनराशि ६,२६,०००.०० प्रति हेठो के दर से रु०- ५०,१४,२६०.०० तथा प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि कैमूर वन्य जीव वन प्रभाग अन्तर्गत ग्राम- पेढ़- परगना- बड़हर, तहसील- घोरावल, जिला- सोनभद्र में ८.०१ हेठो उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों का रखरखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव मीरजापुर द्वारा तैयार किये गये योजना

जो कि वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में संलग्न है के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ₹ 0 35,51,200. 00 इस प्रकार कुल ₹ 0 85,65,460.00 की धनराशि कैम्पा फंड में ई— पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई— चालान द्वारा जमा कराते हुये चालान की मूल प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

उपरोक्तानुसार वांछित धनराशि जमा कराते हुये उ0प्र0 शासन द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या आवश्यक अभिलेखो सहित 4 प्रतियों में निम्न प्रारूप में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

शर्त संख्या	शर्तों में उल्लिखित विवरण	शर्तों के अनुपालन का विवरण
1	2	3

उपरोक्त मांग पत्र में अंकित धनराशि आदि के सम्बन्ध में यदि उच्च स्तर से कोई निर्देश जारी किया जाता है तो उससे यह बाधित रहेगा। आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है कि मा0 न्यायालय तथा हैन्ड बुक आफ फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 1980 और फारेस्ट कन्जर्वेशन रूल्स 2003 के पेज न0— 84 के प्रस्तर 11.2 में निर्दिष्ट समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

संख्या— अ / समिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में संदर्भित पत्र दिनांक 31.08.2020 के कम में।
2. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
3. जिलाधिकारी सोनभद्र।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी चुर्क एवं पटना को उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र की छायाप्रति सहित।

SK

(संजीव कुमार सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

AED/KEO/Cashier
01
2020
01/09/2020

(संजीव कुमार सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

प्रेषक,

गौरव वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

विषय- जनपद सोनभद्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना (एल.डब्लू.ई.) के अन्तर्गत रामपुर बरकोलिया बाया मऊ कला से लौवा सम्पर्क गार्फ किमी 0.00 से 20.200 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 8.01 हेठा आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 58 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/35326/2018)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-129/11-सी-एफपी/यूपी/रोड/35326/2018, दिनांक 16.07.2020 तथा शासन स्तर पर गठित समिति की दिनांक 18.08.2020 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त संख्या-386/11-सी-कार्यवृत्त लखनऊ, दिनांक 19.08.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन गंत्रालय के पत्र सं0-11-09/1989-एफसी-(एल.डब्लू.ई.), दिनांक 15.02.2018 के क्रम में जनपद सोनभद्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना (एल.डब्लू.ई.) के अन्तर्गत रामपुर बरकोलिया बाया मऊ कला से लौवा सम्पर्क गार्फ किमी 0.00 से 20.200 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 8.01 हेठा आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 58 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार/राज्य सरकार एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1.	The forest area involved is not within a National Park and/or a Wild Life Sanctuary.
2.	User Agency (UA) shall explore all feasible alternatives to minimize use of forest land.
3.	Forest land to be used shall be restricted to the bare minimum and shall be used only when it is unavoidable.
4.	The UA will submit scheme for Compensatory Afforestation as per extant guidelines in the matter.
5.	The UA shall pay the applicable NPV in pursuance of the orders of the Hon'ble Supreme Court.
6.	In addition to monthly report of diversions of forest land under General Approval accorded by MoEF&CC, each State/UT Government shall submit half yearly reports for the period ending June 30 and December 31 containing details of all forest lands diverted under the General Approval along with the actual status of actual utilization of the forest lands so diverted for the stated purpose, to the MoEF&CC and its concerned Regional Office.
7.	The diversions and compliance to the conditions will be monitored by the concerned Regional Office, MoEF&CC.

8.	The legal status of the land shall remain unchanged.
9.	The project site should be outside Protected Area Network and eco-sensitive zones (ESZ).
10.	The user agency will seek permission for diversion of forest land duly recommended by Principal Chief Conservator for Forests and from State/UT Government
11.	The Nodal Officer (Forest Conservator) shall submit monthly report to the concerned Regional office by 5 th of every month regularly regarding approval of such cases.
12.	The User Agency shall be responsible for any loss to flora/fauna in the surroundings and therefore, shall take all possible measures in this regard.
13.	The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal
14.	Entire process for settlement of rights in accordance with the provisions of FRA, 2006 shall be completed before grant of approval for diversion of such forest land.
15.	The State/UT Forest Department or State/UT Government or the concerned Regional Office, may impose any other condition from time to time in the interest of conservation, protection and/or development of forests
16. <input checked="" type="checkbox"/>	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वृक्षों का पातन वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा तथा पातन लागिं आदि का व्यय प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
17.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्णय कार्य के दौरान रथल पर कार्यरत मजदूरों/रटाफ को रसोई गैस/किंचोरिन तेल की आपूर्ति की जाएगी ताकि शिकटती वर्गों की क्षति न हो।
18.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित रथल/धनकोश के आरा-पास मजदूरों/रटाफ के लिए किरी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
19.	प्रगानित आरक्षित वनगूणि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जी रही समतुल्य गैर वनगूणि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण और दस वर्षों के लिए रख-रखाव किया जायेगा।
20. <input checked="" type="checkbox"/>	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा०उच्चराम न्यायालय के रिट पिटीशन (रिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-५६६ एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-५-३/२००७- एफ० सी०, दिनांक ०५-०२-२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान गूल्य (एन०पी०वी०), शतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) गें वन विभाग के गांधा से जागा की जायेगी। तत्पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
21.	उक्त वनगूणि प्रस्तावक विभाग के उपर्योग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनगूणि अथवा उसके किसी गांधा की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनगूणि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
22. <input checked="" type="checkbox"/>	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अपडर्टेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन०पी०वी० संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जागा करना होगा।
23.	भारत सरकार के पत्र संख्या-५-३/२००७-एफरी(पीटी), दिनांक १९-८-२०१० तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(1), दिनांक 02 दिसाचर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव लिया जायेगा।
24.	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
25.	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-सामय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

26.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक: 11-9/98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशों-गिरदशों के अनुसार राज्य सरकार के सकाग प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानवित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन रीगाओं को विशेष डाटा (shape) फाइल में दर्शाया गया हो।
27.	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबंधों के अनुपालनार्थ आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

3— कृपया उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(गौरव वर्मा)

विशेष सचिव।

संख्या-पी-60/81-2-2020 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. अपर महानिदेशक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, सोनगढ़ वन प्रभाग, सोनगढ़।
4. जिलाधिकारी, सोनगढ़।
5. अधिशास्त्री अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनगढ़।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ दीपक कोहली)

उप सचिव।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक— 461 /11-सी- FP/UP/Road/35326/2018, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 31, 2020

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति की विन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों सहित दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, सोनगढ़ वन प्रभाग, सोनगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के क्रम में, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति विन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 14.06.2017 के अनुपालन के क्रम में, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु स्थलीय जाँच करते हुये सत्यापन सम्बन्धी प्रगाण पत्र/उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- अधिशास्त्री अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना खण्ड, लोनिवी0, सोनगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये भारत सरकार के निर्देशानुसार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर विन्दुवार अनुपालन आख्या एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

पंकज मिश्र
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Chapter – 11

Infrastructural Projects incl. roads, railway lines, border roads, critical utility infrastructure development, residential / building construction

11.1 Infrastructure projects requiring diversion of forest land under the FCA, 1980 fall under following categories, (in addition to the General Approval granted by the Central government for the specified public utility services and critical/strategic defence infrastructure for the specified periods):

- (i) Road Widening and construction, including widening in existing RoW.
- (ii) Construction of railway lines including conversion of meter gauge railway line to broad gauge including widening within RoW of existing meter gauge.
- (iii) Repair and maintenance of roads constructed on forest lands prior to 25th October 1980
- (iv) Approach/exit roads to petrol pumps etc.
- (v) Residential projects in forest lands
- (vi) Construction of residential buildings in private forests
- (vii) Non-site-specific projects like: Industries, residential colonies, institutes, disposal of fly ash and rehabilitation of displaced persons
- (viii) Ecotourism in Forest Areas
- (ix) School in hilly areas
- (x) Passenger Ropeways

11.2 Any proposal for linear projects such as roads, railway line, transmission lines, etc. need to be processed in their entirety for comprehensive assessment of requirement of forest land and consequences if approval for any forest land is not granted. No work on forest land shall be taken up unless diversion of forest land is ordered by the concerned State /UT Government after obtaining approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980.

Provided that consequent to grant of Stage I approval in respect of linear projects such as laying of new roads, widening of existing highways, transmission lines, water supply lines, optic fiber cabling, railway lines etc. by the Central Government under FCA, the State Government or a Senior Officer not below the Rank of a Divisional Forest Officer, having jurisdiction over the forest land proposed to be diverted, duly authorized in this behalf by the State Government can pass an order for tree cutting and commencement of work of a linear project in forest land for a period of one year.

Such orders shall be passed only after full realization of funds for compensatory afforestation, Net Present Value (NPV), wildlife conservation plan, plantation of dwarf species of medicinal plants, and all such other compensatory levies, specified in the Stage I (in-principle) approval from the UA, and where ever applicable, transfer and mutation of non-forest/ revenue forest land in favour of State Forest Department.

11.3 To facilitate phased preparation and processing, the proposals for such projects may be prepared Forest Division/ State-wise subject to submission of a map indicating alignment of the entire project, highlighting the portions passing through forest land, along with a write up